श्री सभापति : ठीक है, यह संबंधित मिनिस्टर से बात कर लेंगे ।

श्री दयानन्द सहाय : मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं .. (**व्यवधान**)

श्री सभापति : वह आप बाद में दे दीजियेगा

दहेज के कारण हुई मौतें

*185. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष में तदनुरूपी अवधि की तुलना में जनवरी, 1990 से आज तक दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) 1987, 1988, 1989 में दहेज के कारण कितनी मौतें हुई; और

(ग) सरकार इस खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) 1987 से 1990 की प्रथम छमाहियों के दौरान दर्ज किए गए "दहेज के कारण हुई मौतों" के उपलब्ध आंकड़े में सभा पटल पर रखता हूं

1987 से 1989 तक के वर्षों के दौरान सूचित किए गए दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या निम्न प्रकार है :

1987 . . .	1,912
1988 . . .	2,209
1989 . . .	4,006

(ग) दहेज के कारण हुई मौतों सहित अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच पड़ताल करना, पता लगाना तथा उनकी रोकथाम करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है और वे महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के प्रति अपराधों के निवारण और अपराध संबंधी मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाते हैं।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को और अधिक सख्त बनाने के लिए इसे 1984 और 1986 में संशोधित किया गया। दहेज के कारण मौतों के मामलों को और अधिक प्रभावकारी ढंग से निपटाने के लिए भारतीय दंड, संहिता, दंड प्रक्रिया, संहित 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को संशोधित किया था ।

विवरण

वर्ष 1989 और 1990 के प्रथम छः महीने के दौरान दर्ज किये गये दहेज के कारण हुई मौतों के आंकड़े

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दहेज-मृत्यु (1989)	दहेज-मृत्यु (1990)	तक की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश . . .	191	41	फरवरी, 1990
2.	अरुणाचल प्रदेश . . .	—	—	मई, 1990
3.	असम	8	4	मार्च, 1990
4.	बिहार	108	उ. न.	
5.	गोवा	—	—	

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	23	17	फरवरी, 1990
7.	हरियाणा प्रदेश	63	16	मार्च, 1990
8.	हिमाचल प्रदेश	6	3	मई, 1990
9.	जम्मू और कश्मीर	2	2	मार्च, 1990
10.	कर्नाटक	86	86	मई, 1990
11.	केरल	5	2	
12.	मध्य प्रदेश	उ. न.	73	(मई 89 तक)
13.	महाराष्ट्र	280	366	मई, 1990
14.	मणिपुर	—	—	
15.	मेघालय	—	—	अप्रैल, 1990
16.	मिजोरम	—	—	मई, 1990
17.	नागालैंड	—	—	मार्च, 1990
18.	उड़ीसा	22	17	अप्रैल, 1990
19.	पंजाब	37	37	मई, 1990
20.	राजस्थान	74	उ.न.	
21.	सिक्किम	—	—	
22.	तमिलनाडु	59	23	अप्रैल, 1990
23.	त्रिपुरा	6	3	अप्रैल, 1990
24.	उत्तर प्रदेश	605	उ.न.	
25.	पश्चिम बंगाल	189	66	फरवरी, 1990
26.	अंडमान और निकोबार	—	—	
27.	चण्डीगढ़	—	—	
28.	दमन और दीव	—	उ.न.	
29.	दादरा और नगर हवेली	—	—	
30.	दिल्ली	45	11	जनवरी, 1990
31.	लक्षद्वीप	—	उ.न.	
32.	पांडिचेरी	2	—	

टिप्पणी : (1) आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं, जो राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हुए । इन्हें अस्थाई समझा जाए ।

(2) "———"शन्य सूचना बताता है ।

(3) उ.न. का अर्थ उपलब्ध नहीं है ।

श्री संतोष बागडोदिया : पहले तो मैं आपसे यह संरक्षण चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट इन्होंने भेजा है (व्यवधान)

श्री सभापति : आप संरक्षण छोड़िए, सवाल कर लीजिए।

श्री संतोष बागडोदिया : सवाल कैसे करूं अगर ये ठीक से जवाब नहीं देंगे। इन्होंने आधा ही जवाब दिया है और आधा नहीं दिया है। महोदय, इन्होंने पूरे आंकड़े नहीं दिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय पूरा जवाब दें।

श्री सभापति : आप सवाल कीजिए सभी जानते हैं कि दहेज के कारण मौतें हुई उनकी संख्या में बहुत बड़ा फ़र्क न पड़ने वाला है ..(व्यवधान)

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I want to know from the hon. Minister whether the Government will like to introduce capital punishment for all persons involved directly or indirectly in dowry deaths. Also such cases must be decided within a fixed time frame.

MR. CHAIRMAN: Decision and punishment within a limited time.

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : महोदय, सरकार ने 1983 में जो संशोधन किए हैं, उन संशोधनों के तहत पुराने कानूनों को और सख्त किया गया है। महोदय, संख्या इसलिए इतनी बढ़ी है क्योंकि अवैयरनैस बढ़ी है।

श्री सभापति : सदस्य चाहते हैं कि इन केसेज का जल्दी फैसला हो।

श्री सुबोध कांत सहाय : महोदय इन केसेज का फ़ैसला जल्दी हो जाए, इसकी व्यवस्था सरकार करेगी और इसके लिए राज्य सरकारों को निदेश देगी और इस संबंध में 21 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने सारे राज्यों को चिटठी लिखी है और निदेश दिए हैं कि दोषियों के विरुद्ध जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके इन केसेज का निपटारा तुरंत करया जाए।

SHRI JAGESH DESAI: Only U.P., Bihar and other States ruled by you, you have not mentioned.

श्री संतोष बागडोदिया : महोदय, आप सैटिस्फ़ाईड हैं क्या मंत्री महोदय के जवाब से? Are you satisfied, Mr. Chairman?

श्री एन० के० पी० साल्वे : मेरा निवेदन कि इस पर आप हॉफ़-एन-ऑवर डिस्कशन दे दें।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: We need half-an-hour discussion on this.

श्री सभापति : वह बाद में होगा।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: My second supplementary is that the Minister has not replied about the dowry deaths in the States in which the National Front Government and their associates are in power. Those cases have not been given.

Secondly, has the Government any plan to involve voluntary organisations to help the State Governmnets by giving them monetary help?

श्री सुबो कांत सहाय : सभापति महोदय वालंटियरी आर्गेनाइजेशंस को प्राथमिकता दी जाती है और हरेक स्तर पर उनसे सहयोग लेकर उनके द्वारा जो भी केसेज आते हैं उन पर सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करती है। यह अभी तक की परंपरा रही है।

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, I want to ask the hon. Minister the question that was specifically asked why figures have not been given for the States where the National Front Government is ruling. It is totally blank. Is it because the State Governments are not giving you the figures or is it because you do not want to give us the figures?

श्री सुबोध नाथ सहाय : राज्य सरकारों को इसी दिशा में कार्यवाही के लिये फिर से हम... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: He will communicate figures to you.

आप बता दीजिए।

Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Packet of Tampering of Telephone Lines by private telephone subscribers

*183. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Central Bureau of Investigation (CBI) has busted a racket of large scale tampering of telephone lines by private telephone subscribers on complaints given by MTNL Delhi on the 28th June, 1990;

(b) if so, the facts and details thereof; and

(c) what action MTNL has taken/propose to take against the telephone subscribers and officials involved in tampering the telephone lines?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) CBI conducted a joint raid along with MTNL Staff on 28-6-90 and succeeded in the detection of six telephones where a metering evading device was fitted. Meters of the calling subscribers do not operate whenever a call is made to a number fitted with such a device.

(c) FIR has been lodged by CBI under Section 25 of IT Act 1885 against the users in whose premises such devices were detected during joint raid by CBI alongwith MTNL officers. No official of MTNL was found involved.

Proposal for low power transmitters in Gujarat State

*186. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Gujarat Government have made a proposal for 51 Low Power Transmitters for T.V. coverage of the remainings areas of the State; and

(b) if so, by when these will be operational to provide coverage for the remaining areas?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. UPENDRA): (a) Yes, Sir.

(b) The extension of TV Service for uncovered parts of Gujarat depends on availability of funds.

INDO-NEPAL Relations

*187. KUMARI SAYEEDA KHATUN:

SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the outcome of his recent visit to Nepal;

(b) whether the question of India's security particularly the supply of arms from China to Nepal was discussed; if so, the outcome thereof; and

(c) what is the latest position of the treaty of friendship of 1950 and a treaty of trade and transit; and

(d) what steps are being taken to further improve the relations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI HARI KISHORE SINGH): (a) EAM's recent visit to Nepal from August 5—7, 1990, helped maintain the positive momentum of Indo-Nepal relations which were fully normalized following Prime Minister K. P. Bhattarai's visit to